आठ फरवरी तक नगर पंचायत में होगी टैक्स वसूली

मुगमा. चिरकुंडा नपं के कार्यालय में स्वकर निर्धारए के लिए शुक्रवार को बैठक हुई. नगर विकास व आवास विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा अधिकृत आभा श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम चिरकुंडा पहुंचकर कर वसूली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया. होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 फरवरी किया गया है. मौके पर नपं उपाध्यक्ष वरुण दे, सिटी मैनेजर विकास रंजन, ललित लकड़ा सहित टैक्स वसूल करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे.

प्रभात खबर
Sat, 04 February 2017
epaper.prabhatkhabar.com/c/1